न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :– सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या :– 240 / 2024 **जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2024 / 340**
दायर दिनांक :– 04.10.2024 **निर्णय दिनांक :– 11.12.2024**

1. सकीना पत्नी लालदीन जाति मुसलमान निवासी भड़ला तहसील बाप जिला फलोदी
2. शिवसिंह पुत्र गायड़सिंह जाति राजपूत निवासी आउ तहसील आउ जिला फलोदी जरिये आम मुख्तीयार सलाम पुत्र लालदीन जाति मुलसमान निवासी भड़ला तहसील बाप जिला फलोदी

–प्रार्थी

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी, राजस्थान
2. एन.टी.पी.सी रिन्यूबल एनर्जी प्रा. लि. भडला तहसील बाप जिला फलोदी

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थित :–1. श्री राजेन्द्रसिंह सोंलकी अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप

–:: निर्णय ::–

प्रार्थीगण ने राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 का इस आशय से पेश किया है कि प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकारों की काश्त भूमि खसरा नम्बर 39 / 503 रकबा 4.0469 हैक्टेयर, अप्रार्थी सं. 2 आवंटनसुदा भूमि खसरा नम्बर 254 / 198 रकबा 258.2760 हैक्टेयर सरहद मौजा भड़ला (चूहड़ो की बस्ती) पटवार क्षेत्र नुरे की भुर्ज तहसील बाप जिला फलोदी में स्थित है। जमाबन्दी व नक्शा ट्रेस सलंग्न पेश है। प्रार्थीगण की खातेदारी अधिकारों काश्त भूमि खसरा नम्बर 39 / 503 रकबा 4.0469 हैक्टेयर भूमि पर संलग्न नजरी नक्शा अनुसार कब्जा व काश्त लगातार चला आ रहा है और प्रत्येक वर्ष काश्त कर प्राकृतिक पैदावार का उपयोग व उपभोग लेता आ रहा है। उक्त भूमि चिपती अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 38 स्थित है और खसरा नम्बर 38 के चिपते ही संलग्न नजरी नक्शा अनुसार भूमि पर सिंचाई हेतु पानी की 200 गुणा 200 फिट की डिग्गी बना रखी है। जिससे प्रार्थीगण की सम्पूर्ण भूमि सिंचित है। उक्त भूमि की पूर्व में तरमीम नहीं हो रखी थी लेकिन वर्तमान में सेग्रीकेशन योजना के तहत प्रार्थीगण के कब्जा व काश्त के विपरित तरमीम कर दी गई है जो सरासर गलत है। वर्तमान में प्रार्थी के हिस्से की भूमि पर अप्रार्थी संख्या 2 की तरमीम सरासर गलत रूप से कर दी गई है। जबकि प्रार्थी का मौके पर कब्जा व काश्त संलग्न नजरी नक्शा अनुसार चला आ रहा है। वर्तमान में पटवारी हल्का द्वारा की गई तरमीम बिना किसी विधिक आदेश से की गई है। इसलिये ग्राम भड़ला चूहड़ो की बस्ती पटवार क्षेत्र नुरे की भुर्ज तहसील बाप के खसरा नम्बर 39 / 503 रकबा 4.0469 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 254 / 198 रकबा 258.2760 हैक्टेयर भूमि के नक्शा लट्ठा में की गई विधि विरूद्ध तरीके से खातेदारों के कब्जा काश्त के विपरित की गई तरमीम को निरस्त करवाकर

11.12.24
सहायक कलेक्टर

प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शा अनुसार तरमीम करवाने की अधिकारिणी है जिसका यह प्रार्थना पत्र पेश है।

प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली जाकर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 तहसीलदार बाप ने जवाब एवं मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 2 की और से कोई उपस्थित नहीं आये लिहाजा इनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

बहस अधिवक्ता प्रार्थीगण एवं पैरोकार सरकार प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 सुनी गयी। दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। बहस पर मनन किया गया। ग्राम भड़ला (चूहड़ों की बस्ती) पटवार हल्का नूरे की भुर्ज तहसील बाप के खसरा नम्बर 39/503 रकबा 4.0469 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 254/198 रकबा 258.2760 हैक्टेयर भूमि की तरमीम खातेदारों के कब्जा काश्त के भिन्न है। पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट इत्यादि का अवलोकन करने से यह स्पष्ट होता है कि आराजी खसरान् की तरमीम ऑनलाईन नक्शा में कब्जा काश्त के विपरित की गई है जिसे कब्जा काश्त अनुसार दुरूस्त किया जाना उचित है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दस्तावेजों एवं पटवारी हल्का की रिपोर्ट से साबित है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर उपरोक्त वर्णित खसरान् की तरमीम को निरस्त किया जाकर पटवारी हल्का नुरे की भुर्ज की मौका रिपोर्ट के संलग्न नजरी नक्शा अनुसार किया जाना उचित समझते है।

क्रियात्मक आदेश

उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है कि ग्राम भड़ला (चूहड़ों की बस्ती) पटवार हल्का नूरे की भुर्ज तहसील बाप के खसरा नम्बर 39/503 रकबा 4.0469 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 254/198 रकबा 258.2760 हैक्टेयर भूमि की वर्तमान ऑनलाईन तरमीम को निरस्त की जाकर पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट के संलग्न नजरी नक्शा अनुसार तरमीम किये जाने के आदेश तहसीलदार बाप को दिये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 11.12.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

11.12.24

(सुखाराम पिण्डेल, R.A.S.)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)